भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2523
उत्तर देने की तारीख 18 दिसंबर, 2023
सोमवार, 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

एनएपीएस/एनएटीएस

2523. श्री संगम लाल गुप्ताः श्री प्रताप चंद्र षडंगीः श्री पी.पी. चौधरीः
श्री अनुराग शर्माः श्री सी.आर. पाटिलः श्री जयंत सिन्हाः
डॉ. रमापति राम त्रिपाठीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की एनएपीएस योजना के अंतर्गत उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई औपचारिक प्रणाली और मानदंड है;

(ख) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के बीच क्या अंतर है;

(ग) क्या कोई व्यक्ति दोनों योजनाओं अर्थात् एनएपीएस और एनएटीएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है;

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, झांसी और देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के बालासोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, राजस्थान के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के नवसारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों से कितने प्रशिक्षु लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्योरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने लाभार्थी उद्योगों द्वारा नियोजित प्रशिक्षुओं की संख्या की निगरानी करने और इस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अधीन, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) को सहायता की स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत देश भर के केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सभी भारतीय युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

भारत सरकार ने शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रतिष्ठानों/उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त, 2016 में 'राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम' (एनएपीएस) शुरू की। अकतूबर, 2019 में जारी एनएपीएस के

अंतर्गत दिशानिर्देश स्कीम का लाभ उठाने के लिए नियोक्ता की पात्रता/मानदंड और दावों के प्रसंस्करण पर भी निर्दिष्ट करते हैं।

वर्ष 2022-23 से, इस स्कीम को राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम-2 के रूप में जारी रखने के लिए विस्तारित किया गया है। एनएपीएस-2 शिक्षुओं को आंशिक वृत्तिका सहायता प्रदान करता है, शिक्षुता इकोसिस्टम क्षमता-निर्माण का कार्य करता है और हितधारकों को पक्ष पोषण सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार (जीओआई) द्वारा आंशिक वृत्तिका सहायता भुगतान किए गए वृत्तिका के 25 प्रतिशत तक सीमित है, जो प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति शिक्षु प्रति माह अधिकतम 1,500 रुपए तक है। भारत सरकार द्वारा वृत्तिका सहायता का भुगतान शिक्षुओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत डीबीटी जुलाई, 2023 में प्रारम्भ किया गया था।
(ख) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) एनएपीएस से भिन्न है जैसा कि नीचे बताया गया है:

i. वृत्तिका: शिक्षुओं को मासिक वृत्तिका केंद्र सरकार और नियोक्ता के बीच 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है।
ii. समूह: एनएटीएस में नए उत्तीर्ण इंजीनियरिंग स्नातक, डिप्लोमा धारक, सामान्य स्ट्रीम में स्नातक और इंजीनियरिंग के सैंडविच कार्यक्रम में डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्र शामिल हैं।
iii. अनुवीक्षण: इस स्कीम का अनुवीक्षण शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी)/ व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (बीओपीटी) द्वारा की जाती है।
(ग) ऊपर बताए गए समूहों में से, बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम, बी.ई., बी.टेक आदि सहित स्नातक और एनएटीएस के तहत पंजीकृत होने वाले डिप्लोमा धारक भी वैकल्पिक ट्रेडों के तहत प्रशिक्षण के लिए एनएपीएस के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए पात्र हैं।
(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, झाँसी और देवरिया, ओडिशा के बालासोर, राजस्थान के पाली, गुजरात के नवश्री और झारखंड के हज़ारीबाग़ और रामगढ़ जिलों के संबंध में एनएपीएस और एनएटीएस के अंतर्गत प्रदान की गई शिक्षुओं और मौद्रिक सहायता का विवरण अनुबंध-I में है।
(च) एनएपीएस और एनएटीएस दोनों के अंतर्गत, प्रतिष्ठानों द्वारा शिक्षुओं की नियुक्ति का अनुवीक्षण के लिए वेब पोर्टल मौजूद है। इसके अलावा, एनएपीएस के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्रीय निदेशालय (आरडीएसडीई), कौशल से संबंधित राज्य निदेशालय क्षेत्र के दौरों के माध्यम से शिक्षुओं की नियुक्ति का अनुवीक्षण करते हैं। इसके अलावा, एमएसडीई के तहत प्रारम्भ किया गया स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) प्लेटफॉर्म एनएपीएस का अनुवीक्षण की सुविधा प्रदान करता है। एनएटीएस के तहत, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी)/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (बीओपीटी) शिक्षुता संबद्धता का अनुवीक्षण करता है।

अनुबंध-I

दिनांक 18.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)

तालिका-1: शिक्षुओं का विवरण:

क्र.सं.	जिला	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 से 31.10.2023 तक
1	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	10	18	128	86
2	झांसी	उत्तर प्रदेश	236	1168	957	227
3	देवरिया	उत्तर प्रदेश	28	154	182	130
4	पाली	राजस्थान	119	202	182	81
5	बालासोर	ओडिशा	169	127	311	124
6	हजारीबाग	झारखंड	393	224	190	66
7	रामगढ़	झारखंड	537	522	349	148
8	नवसारी	गुजरात	507	608	1054	503

तालिका-2: प्रदान की गई मौद्रिक सहायता (आंकड़े लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिला	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 31.10.2023 तक
1	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	0	0	0	52.6
2	झांसी	उत्तर प्रदेश	27.911	59.4	0	4.13
3	देवरिया	उत्तर प्रदेश	0	0	0	20.83
4	पाली	राजस्थान	3.65	19.03	17.07	14.51
5	बालासोर	ओडिशा	0	0.28	1.48	18.74
6	हजारीबाग	झारखंड	0	0	0	14.06
7	रामगढ़	झारखंड	0	0	2.06	65.57
8	नवसारी	गुजरात	23.35	21.6	0	11.04

2. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस)

तालिका-3: शिक्षुओं का विवरण:

क्र.सं.	जिला	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 31.10.2023 तक
1	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	93	151	207	132
2	झांसी	उत्तर प्रदेश	86	133	186	60
3	देवरिया	उत्तर प्रदेश	196	232	437	222
4	पाली	राजस्थान	29	45	87	53
5	बालासोर	ओडिशा	31	69	211	84
6	हजारीबाग	झारखंड	0	12	13	9
7	रामगढ़	झारखंड	12	11	6	17
8	नवसारी	गुजरात	88	132	162	53

तालिका-4: प्रदान की गई मौद्रिक सहायता (आंकड़े लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिला	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 31.10.2023 तक
1	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	18.79	20.8	41.75	12.49
2	झांसी	उत्तर प्रदेश	18.81	14.22	34.02	11
3	देवरिया	उत्तर प्रदेश	35.28	35.82	73.19	26.66
4	पाली	राजस्थान	5.79	4.6	14.6	5.04

5	बालासोर	ओडिशा	14.88	33.12	101.28	2.02
6	हजारीबाग	झारखंड	0	5.76	6.24	2.16
7	रामगढ़	झारखंड	5.76	5.28	2.88	4.08
8	नवसारी	गुजरात	10.07	14.67	29.72	6.17

*****